पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 15.01.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि प्रार्थी को स्थगन की प्रथम जानकारी दिनांक 05.06.2023 को होने पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य आपसी समझाईश से प्रकरण का निस्तारण करने एवं सुलटारा करने का विचार विमर्श कर अप्रार्थी ने स्थगन हटाने का आश्वासन देने से विश्वास में रहे तथा समझाईश के पश्चात भी रंजिशवश दिनांक 02.01.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 ने आपसी समझाईश से बंटवारा करवाने से इंकार कर स्थगन हटाने से इंकार करने पर प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर दिनांक 05.01.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर प्रश्नगत अपील श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। चुंकि यह आदेश अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार विहीन आदेश है जो स्पष्टतः प्रभावशुन्य होने से प्रश्नगत अपील के माध्यम से मियाद के बिन्दु को गौण कर समय कण्डोन किया जाना न्यायोचित है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुने बगैर उनकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से आलोच्य आदेश पातिर किया गया है जबकी प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थगन पारित करने का कोई अधिकार विचारण न्यायालय नही रखते है। इसलिए आलोच्य आदेश प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से ऐसे आदेश को चुनौती देने के लिए मियाद अधिनियम के प्रावधान कतई आडे नहीं आते है। इसलिए मियाद के बिन्दु को गौण किया जाकर प्रश्नगत अपील को मेरिट पर सुना जाना न्यायोचित है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायिक दृष्टांत 2016 आर0बी0जे0 769, 1999 आर0बी0जे0 185 एवं अन्य न्यायिक दृष्टांतो के अनुसार जहां पर आलौच्य आदेश विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल जाकर पारित किया गया है वहा पर ऐसे आदेश को चुनौती देने के लिए मियाद अधिनियम के प्रावधान कतई आडे नहीं आते है। इसलिए उपरोक्त विधिक स्थिति की परिपेक्ष में मियाद के बिन्दु को गौण किया जाकर प्रकरण को मेरिट पर सुना जाना न्यायोचित है। प्रश्नगत प्ररकण एक अपील है जिसका निस्तास्ण तकनीकी बिन्दु को नजरअंदाज कर गुणावगुण पर किया जाना ही न्याय संगत है। इसलिए देरी जैसे तकनीकी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया जाकर प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। हस्तंगत अपील को प्रस्तुत करने में कोई सद्भाविक देरी है तो उस बाबत उदार रूख अपनाते हुए देरी को क्षमा कर प्रश्नगत अपील अन्दर मियाद शुमार कर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार कर इसे गुणावगुण पर निर्णित करने के आदेश न्यायहित में प्रदर्श फरमाये।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि प्रश्नगत प्रकरण में यह स्थिति निर्विवादित तोर पर बखूबी प्रमाणित है कि प्रार्थी प्रकरण में अन्तर्निहित आराजीयात के अभिलिखित कांबिजकाश्त खातेदार कृषक है। इसलिए स्थगन की तीनो घटक इन्ही के पक्ष में सुसाबित है एवं विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार एवं सहखातेदार को स्थगन से पाबंद नही किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति को अनदेखी कर उक्त स्थगन आदेश पारित किया है जो स्पष्टतः गैरकानूनी होने से ताफैसला अपील क्रियान्विति स्थगित किया जाना न्यायोचित है। स्थगन आदेश पारित करते समय स्थगन के तीनो घटकों यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु आदि का विवेचन एवं विश्लेषण उक्त आदेश में किया ही नहीं है। जबकी प्रार्थी विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति आदि स्थगन के तीनों घटक प्रार्थी के पक्ष में निहीत है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 76/2022 बउनवानी ओमप्रकाश बनाम कमला देवी में पारित आदेश दिनांक 10.06.2022 का प्रभाव एवं प्रचलन एवं क्रियान्विति ख0न0

25.1.2024
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

..., 481, 492 वाकै ग्राम पंवालिया तह0 दूदू की हद तक स्थगित किये जाने के आदेश ...यहित में प्रदत्त फरमावें।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अनुसार स्थगन की प्रथम बार जानकारी दिनांक 5.6.2023 को उसे हुई उसके पश्चात आपसी समझाईश से प्रकरण का निस्तारण करने एवं स्थगन हटाने बाबत आश्वासन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिए जाने से वह विश्वास में रहा मगर दिनांक 2.1.2024 को अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा सहमति से बंटवारा करवाने से एवं स्थगन हटवाने से इंकार करने पर उसके द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 4.1.2024 को प्रस्तुत किया जाकर व दिनांक 5.1.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई।

प्रार्थी व अप्रार्थी सहखातेदार काश्तकार हैं एवं सहखातेदार को स्थगन से पाबंद नहीं किया जा सकता अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार विहिन आदेश है जिसे चुनौति देने हेतु मियाद अधिनियम के प्रावधान आडे नहीं आते हैं। अंत में निवेदन किया कि देरी को क्षमा करते हुए अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाए।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम पवालिया खाता सख्या नया 110, खाता संख्या 111, खाता संख्या नया 18, खाता संख्या नया 37 तहसील दूदू जमाबंदी संवत 2076–2079 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलाधीन आदेश प्रकरण संख्या 76/2022 दिनांक 10.6.2022 का है। उक्त आदेश ओमप्रकाश बनाम कमलादेवी एवं अन्य में प्रस्तुत 212 के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा दिया गया है। उक्त आदेश एकपक्षीय रूप से दिया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर प्रस्तुत न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 10.6.2022 से दिनांक 6.2.2023 का अवलोकन किया गया। दिनांक 6.2.2023 के बाद पत्रावली दिनांक 18.4.2023 हेतु प्रस्तुत होने के लिए नियत की गई थी उसके बाद पत्रावली पर कोई प्रोसिडिंग नहीं है। इस बाबत वकील अपीलांट ने भी बहस के दौरान आक्षेप किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में अंकित कथन पर विश्वास करते हुए यह माना जाएगा कि उसे दिनांक 5.6.2023 को अंतरिम स्थगन आदेश की जानकारी हुई है और उसके द्वारा सहमति से बंटवारे का प्रयास किया गया है। मगर अंतिम रूप से विफल रहने पर उसके द्वारा दिनांक 2.1.2024 के बाद प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 5.1.2024 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर दिनांक 12.1.2024 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी गई थी। अनेकानेक न्यायिक दृष्टांतों में यह सिव्द्धांत प्रतिपादित किया गया है कि चूंकि सहखातेदारी में प्रत्येक इंच जमीन पर प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा होता है ऐसी स्थिति में एक सहखातेदार के विरूद्ध कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता निश्चित तौर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम स्थगन आदेश सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत दिया गया है ऐसी विधि विरूद्ध आदेशों के मामले में मियाद अवधि बाबत शिथिलन दिया हुआ है। ऐसी रोशनी में प्रस्तुत अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट 1 के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 10.6.2022 को दावा पेश किया गया और उसी दिन अंतरिम स्थगन न्यायालय के द्वारा दिया गया। दिनांक 6.2.2023 के बाद पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है जबकि हम सहखातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी की पालना नहीं की गई है।

बहस बिंदुओ पर मनन किया गया अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.6.2022 में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों घटकों बाबत कोई विवरण अंकित नहीं करते हुए आदेश दिया है। वर्तमान अपील भी मूल सहखातेदार हनुमान पुत्र नंदादास की जगह उनके पॉवर ऑफ अटोर्नी रामाकिशन पुत्र रामचंद्र जाति जाट द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त पॉवर ऑफ अटोर्नी खाता संख्या 110 नया के आराजी खसरा नम्बर 478, 479, 481, 492 कुल किता चार कुल रकबा 3.0800 है0 ग्राम पवालिया हेतु दी गई है। जब कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाता सख्या नया 110, खाता संख्या 111, खाता संख्या नया 18, खाता संख्या नया 37 ग्राम

25.1.2024

...अपील प्राधिकारी

CamScanner

तहसील दूदू हेतु अंतरिम स्थगन जारी किया गया था। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 478, 479, 481, 492 से स्थगन आदेश हटाने हेतु निवेदन किया गया है, मगर उक्त खसरा नम्बरों में हनुमान पुत्र नंदादास का हिस्सा मात्र 1/16 है उक्त खसरा नम्बरों में अन्य 9 सहखातेदार और भी दर्ज है। भूमि अविभाजित है एवं प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। अतः बिना बंटवारे के अपीलांट का कौनसा हिस्सा बनता है यह तय नहीं किया जा सकता। न्यायालय का इस स्टेज पर यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय को तामिल पूरी होने के बाद संबंधित पक्षकारों के जवाब लेकर बहस पूरी कर अंतिम रूप से 212 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय करना चाहिए अतः इस स्टेज पर न्यायालय उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित करता है कि आगामी तीन सप्ताह में प्रकरण का युक्तियुक्त निस्तारण करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

25.1.2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner